प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 जुलाई, 2021***

विषय:- जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश कुमार उर्फ पिन्टू पुत्र श्री किशुन, निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30277/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.11.2020, दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सतीश कुमार उर्फ पिन्टू पुत्र श्री किशुन, नि0 सोहरवलिया खुर्द, थाना-पुरन्दपुर जनपद-महराजगंज का निवासी है। बन्दी 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 14.07.2007 को अपनी पत्नी माधुरी की हत्या कर दी तथा शव पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-17/2008 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, महराजगंज के आदेश दिनांक 23.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.07.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2018 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.11.2020 तक 13 वर्ष 03 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 02 माह 26 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी का अपराध जघन्य श्रेणी का होने, बंदी की उम्र 40 वर्ष होने, रिहा होने पर अपराध करने की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति, बंदी की 36 वर्ष आयु होने तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश कुमार उर्फ पिन्टू (बन्दी संख्या-52/2011) पुत्र श्री किशुन, निवासी जनपद-महराजगंज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-114/2021/1219(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-महराजगंज।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।